

कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड/ COCHIN SHIPYARD LIMITED

कोच्ची/ KOCHI - 15

सं./No.PERL/17(28)/2014Pt

तिथि/Date:11सितंबर/Sep 2024

दिनांक 01.04.2007 के बाद सेवानिवृत्त हुए कामगारों के लिए

बीमा संबद्ध चिकित्सा सहायता योजना

INSURANCE LINKED MEDICAL ASSISTANCE SCHEME (ILMA)

FOR WORKMEN RETIRED AFTER 01.04.2007

1. कृपया मान्यताप्राप्त ट्रेड यूनियनों के साथ दिनांक 01 अगस्त 2014 को किए गए समझौता ज्ञापन के अनुसार सीएसएल द्वारा कार्यान्वित की गई सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा सहायता योजना / बीमा संबद्ध चिकित्सा सहायता योजना का संदर्भ लें, जो समझौते में निर्दिष्ट शर्तों के अधीन दिनांक 01.04.2007 के बाद सेवानिवृत्त हुए श्रमिकों के लिए लागू है।
Please refer the Post-Retirement Medical Assistance Scheme / Insurance Linked Medical Assistance Scheme (ILMA) implemented by CSL as per the Memorandum of Settlement dated 01 Aug 2014 entered into with the recognized trade unions which is applicable for workmen retired after 01.04.2007; subject to conditions specified in the settlement.
2. यूनियनों के साथ उपर्युक्त समझौते के अनुसार, दिनांक 01.04.2007 के बाद सीएसएल की सेवा से सेवानिवृत्त / सेवानिवृत्त होने वाले सभी कामगारों को बीमा संबद्ध चिकित्सा सहायता योजना ट्रस्ट / योजना के अंतर्गत सदस्यता के लिए 50,000/- रुपए का एकमुश्त गैर-वापसी योग्य नामांकन / सदस्यता शुल्क जमा करना आवश्यक है।
As per the above referred Settlement with unions, all workmen retired/retiring from the service of CSL w.e.f 01.04.2007 onwards are required to remit onetime non-refundable enrollment/membership fee of Rs.50,000/- for membership under ILMA Trust/Scheme.
3. इससे पहले, जो लोग एकमुश्त नामांकन / सदस्यता शुल्क का विकल्प नहीं चुनते हैं, उन्हें भी योजना का लाभ उठाने हेतु हर साल वार्षिक बीमा प्रीमियम का 50% जमा करने का विकल्प दिया गया था।
Earlier, those who do not opt for one time enrollment/ membership fee were also provided an option to remit 50% of the annual insurance premium every year for availing benefits of the scheme.
4. पूर्व में, सीएसएल ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों को एकमुश्त या किश्तों में नामांकन शुल्क जमा करने के कई अवसर दिए थे, ताकि वे योजना में शामिल हो सकें और इसका लाभ उठा सकें। कई सेवानिवृत्त कर्मचारी अभी तक योजना में शामिल नहीं हुए हैं। हाल ही में, सेवानिवृत्त कर्मचारियों से योजना के तहत नामांकन की अनुमति मांगने हेतु अनुरोध प्राप्त हुए हैं।
In the past, CSL had given several opportunities to retired workmen to remit the one time enrollment fee in lumpsum or in installments so as to join and avail the benefits of the scheme. A number of retired workmen have not yet joined the scheme. Of late, requests have been received from the retired employees seeking permission for enrollment under the scheme.
5. सेवानिवृत्त कर्मचारियों से प्राप्त अनुरोधों पर विचार करते हुए, जो अभी तक सेवानिवृत्त पश्चात चिकित्सा सहायता योजना में शामिल नहीं हुए हैं, यह निर्णय लिया गया है कि बीमा संबद्ध चिकित्सा सहायता योजना के अंतर्गत कवरेज बढ़ाने हेतु एक बारगी उपाय के रूप में प्रत्येक वर्ष वार्षिक बीमा प्रीमियम का 50% जमा करके अवसर दिया जाए। दिनांक 01.04.2007 के पश्चात सेवानिवृत्त हुए वे सभी कर्मचारी जो अभी तक योजना में शामिल नहीं हुए हैं, वे 2024-25 से प्रत्येक वर्ष वार्षिक बीमा प्रीमियम का 50% भुगतान करके योजना का लाभ उठाने के लिए इस अवसर का उपयोग कर सकते हैं।

Considering the requests received from retired workmen who have not yet joined the post-retirement medical assistance scheme, it has been decided to give an opportunity as a one-time measure to extend coverage under the Insurance Linked Medical Assistance Scheme by remitting 50% of the annual insurance premium every year. All those workmen retired after 01.04.2007 who have not yet joined the scheme may utilize this opportunity to avail the benefits of the scheme on payment of 50% of annual insurance premium in every year from 2024-25 onwards.

6. जो लोग उपर्युक्त सेवानिवृत्ति पश्चात् चिकित्सा योजना में शामिल होना चाहते हैं, वे अपना अनुरोध वरिष्ठ प्रबंधक और कल्याण अधिकारी, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड को डाक द्वारा या ई-मेल द्वारा arun.v@cochinshipyard.in पर दिनांक 22 सितंबर 2024 तक लिखित रूप में भेज सकते हैं। Those who wish to join the post retirement medical scheme as above may submit their request in writing addressed to Sr. Manager & Welfare Officer, Cochin Shipyard Ltd. by post OR by email to arun.v@cochinshipyard.in latest by 22 Sep 2024.
7. वर्ष 2024-25 के लिए मेसर्स यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी से सीएसएल द्वारा ली गई नकदीहीन बीमा पॉलिसी के लिए वार्षिक बीमा प्रीमियम और अन्य लाभ संदर्भ हेतु नीचे दिया गया है: The annual insurance premium for the cashless insurance policy taken by CSL from M/s.United India Insurance Company for the year 2024-25 and other benefits are given below for reference:

(a) बीमा कवर / Insurance cover

- i. इन-पेशेंट (आईपी) उपचार : सभी बीमारियों (डे केयर उपचारों सहित) के लिए फ्लोटर आधार पर एक परिवार इकाई के लिए एक वर्ष में 8,00,000/- रुपए तक।
In-patient (IP) treatment: upto Rs.8,00,000/- in a year for a family unit on floater basis for all diseases (including Day care treatments)
- ii. अतिरिक्त कवर : गंभीर बीमारी कवर आईपी : प्रति व्यक्ति एक वर्ष में 24,00,000/- रुपए, जो पहले 10 व्यक्तियों तक सीमित है (1.25 करोड़ रुपए के कोष में से)
Additional cover – Critical illness cover IP: Rs.24,00,000/- in a year per person limited to the first 10 persons(out of a Corpus of Rs.1.25 crores).

- (b) **बीमा प्रीमियम** : सेवानिवृत्त कर्मचारियों के प्रति परिवार इकाई हेतु वर्ष 2024-25 के लिए उपरोक्त बीमित राशि के लिए सीएसएल द्वारा बीमा कंपनी को देय पूर्ण प्रीमियम 51,281/- रुपए है और तदनुसार योजना में शामिल होने हेतु कर्मचारियों द्वारा जमा किया जाने वाला 50% बीमा प्रीमियम वर्ष 2024-25 के लिए 25,641/- रुपए होगा। यह ध्यान दिया जाए कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए लागू वार्षिक बीमा प्रीमियम अलग-अलग होगा और और बाद के वर्षों के लिए प्रीमियम राशि संगत समय पर अधिसूचित की जाएगी।

Insurance Premium: Full premium payable by CSL to the Insurance Company for the above sum assured for the year 2024-25 per family unit of retired workmen is **Rs.51,281/- and accordingly the 50% insurance premium to be remitted by workmen for joining into the scheme shall be Rs.25,641/- for the year 2024-25.** It may be noted that the annual insurance premium applicable for each financial year shall vary and the premium amount for the subsequent years shall be notified at the relevant time.

(c) इस योजना के अंतर्गत चिकित्सा लाभ के लिए पात्र व्यक्ति हैं:

The eligible persons for medical benefits under the scheme are:

- i. स्वयं / सेवानिवृत्त / Self/Retiree
- ii. पति/पत्नी /Spouse
- iii. दो आश्रित बच्चे (बेरोज़गार/अविवाहित 25 वर्ष तक का बेटा/बेटी)। 25 वर्ष से अधिक आयु के दिव्यांग (40% या अधिक दिव्यांग) बेटा/बेटी को आश्रित माना जाएगा।
Two dependent children (unemployed/unmarried son/daughter upto 25 years). Differently abled (40% or more disabled) son/daughter above 25 years of age will be considered as dependents.
- iv. आश्रित माता-पिता (केवल पिता/माता) (सभी स्रोतों से आय निर्धारित सीमा अर्थात् 13,140/- रुपए प्रति माह से अधिक नहीं होगी) ।
Dependent Parents (father/mother only) (Income from all sources shall not exceed the limit prescribed ie. Rs.13,140/- per month)

(d) बाह्य रोगी उपचार व्यय की प्रतिपूर्ति :

Reimbursement of Outpatient treatment expenses:

ओपी उपचार के लिए कवरेज को चिकित्सा बीमा पॉलिसी से बाहर रखा गया है। हालांकि, प्रति परिवार 20,000/- रुपए तकके सामान्य ओपी उपचार व्यय और प्रति परिवार 40,000/- रुपए तक के गंभीर ओपी उपचार व्यय की प्रतिपूर्ति सीएसएल द्वारा ओपी दावों को सीएसएल में प्रस्तुत करने पर सीधे की जाएगी।

Coverage for OP treatment has been excluded from the medical insurance policy. However, General OP treatment expenses upto **Rs.20,000/-** per family and Critical OP treatment expenses upto **Rs.40,000/-** per family shall be reimbursed directly by CSL on submission of OP claims to CSL

यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है ।

This issues with the approval of the Competent Authority.

(सुब्रमण्यन के के/ Subramanian K K)
उप महाप्रबंधक (मा.सं.) /DGM(HR)

सेवा में / To:

सभी सेवानिवृत्त कामगार / All Retired Workmen
सेवानिवृत्त कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले सभी संघ
All associations representing retired employees

प्रतिलिपि. / Copy to:

नि (तक) / नि (वि) / नि (प्र) / D(T) / D(F) / D(O)

मु.स.अ. /CVO

का.नि. (पो.म.) / का.नि. (पो.नि.) / ED (SR) / ED (SB)

मु.म.प्र. / म.प्र. / उ.म.प्र. / CGMs / GMs / DGMs

मु.क.अ. / मु.चि.अ. / CWO / CMO

महासचिव सीएसईएफ/सीएसईओ / General Secretary CSEF / CSEO